


मोती डूंगरी मंदिर के पीछे बहुमंजिला इमारत बनाने का मामला हाईकोर्ट में उखड़ा!

40 फीट से भी कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति क्यों?

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर। मोती डूंगरी मंदिर के पीछे स्थित मोती डूंगरी एक्सटेंशन तथा तिलक नगर एक्सटेंशन पर तीन प्लॉट बी-124, बी-49 और बी-3 पर बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का विवाद हाईकोर्ट उखड़ा है। मामले में विवाद है कि मोती डूंगरी मंदिर के सामने और ना ही मोती डूंगरी मंदिर के पीछे जुड़ी हुई सड़क, मोती डूंगरी एक्सटेंशन, दोनों ही सड़कें 60 फीट चौड़ी नहीं हैं, परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने बिन्दुओं की मदद करते हुए उक्त सड़क पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति दे दी। इस मामले में दो याचिकाकर्ता जो इस सड़क पर रहते हैं, की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले में दो जून 2023 को इन तीन इमारतों के संदर्भ में प्रस्तुतियाँ बनाये रखने के आदेश दिये थे। फिर एकलपीठ के आदेश की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 30 अक्टूबर 2023 को आदेश दिये थे कि इस मामले को पूर्ण सुनवाई के बाद ही आदेश पारित करेगी, परंतु तब तक इन तीन बहुमंजिला इमारतों का भविष्य अदालत के अंतिम आदेश पर ही निर्भर करेगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अखबार में इशतिहार दिये हैं कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी व्यक्ति इमारतों में प्लैट ना खरीदे, ताकि मामले में 'थर्ड पार्टी' अधिकार प्रभावित ना हो।

हैरानी की बात है कि इस मामले में इस सड़क पर रहने वाले दो निवासी, प्रीति असावा और अरूणा स्वामी, ने प्रशासन व निगम को शिकायत की गई कि उसके द्वारा 'बिल्डिंग बायलॉज' तथा हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णयों के खिलाफ जाते हुए जब 40 फीट से भी कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है, तब भी उनकी शिकायतों को अनसुना किया गया। जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुँचा तो याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसके घर के नक्शे के अनुसार उसके घर के सामने लगभग 40 फीट की सड़क है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि गुलाब कोठारी मामले में दिये गये निर्णय हाईकोर्ट ने स्वयं कहा है कि 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इससे सड़क पर पार्किंग की समस्या उत्पन्न होती है और उक्त क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिये भी सड़क उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है। गौरतलब है कि गुलाब कोठारी मामले में रिहायशी इलाकों में जहाँ सड़कें पतली होती हैं, वहाँ बहुमंजिला इमारतें बनाने की



प्राइवेट पार्टी के मार्फत पी.टी. सर्वे कराया गया, जिसके अनुसार सड़क की चौड़ाई औसतन 35.123 फीट है।

- जैसा कि विदित है कि हाईकोर्ट के आदेश व कानून के अनुसार 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती
- इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, जहाँ यह तथ्य भी पेश किया गया है कि पी.टी. सर्वे में सड़क की चौड़ाई 35 फुट के आसपास है फिर भी राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा बार-बार यह अलाप गया जा रहा है कि सड़क 60 फीट से भी अधिक चौड़ी है
- इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अखबार में इशतिहार दिये हैं कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी व्यक्ति इमारतों में प्लैट ना खरीदे, ताकि मामले में 'थर्ड पार्टी' अधिकार प्रभावित ना हों
- सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को आदेश दिये हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करे

अनुमति दिये जाने के खिलाफ स्पष्ट आदेश भी हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से उक्त सड़क की वास्तविक स्थिति अदालत

के समक्ष स्पष्ट करने के लिये उक्त सड़क का एक प्राइवेट पार्टी के मार्फत पी.टी. सर्वे भी कराया जिसके अनुसार सड़क की चौड़ाई औसतन 35.123 फीट है

और कई भाग में सड़क की चौड़ाई केवल 20 फीट है। जिसके बावजूद प्रशासन ने इस सड़क पर 70 से 80 फीट ऊंची इमारत के निर्माण की

अनुमति दे दी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा इसी सड़क पर स्थित एक अन्य प्लॉट, बी-6 ए, के नक्शे को, जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दी है, अपनी याचिका के साथ संलग्न किया है। इस नक्शे के अनुसार भी प्लॉट के सामने के स्थित सड़क की चौड़ाई 30 फुट ही है। परंतु फिर भी राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से बार-बार अदालत में कहा गया है कि उक्त सड़क की चौड़ाई 60 फीट से भी कम है। उक्त मामले में कई महीनों से सुनवाई नहीं हो पायी है। जिसके खिलाफ 18 मार्च 2024 को याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के आदेश भी पारित किये।

नागरिक उद्युक्त मंत्री एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश में आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान एवं गौरव बढ़ा है।

फर्जी डिग्री मामले में सरकारी कर्मचारी एस.ओ.जी. की रडार पर

इन सरकारी कर्मचारियों के विभागों को एसओजी ने नोटिस व सूचना देना शुरू कर दिया है

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी लगने वाले एक दर्जन कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया है। इन सरकारी कर्मचारियों के विभागों को एसओजी ने नोटिस या सूचना देना शुरू कर दिया है। चिन्हित इन कर्मचारियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एसओजी इस मामले में प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में सक्रिय रैकेट के सदस्यों को लेकर जानकारी जुटा रही है। उप महानिरीक्षक (डीआईजी) परिस देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरी लगे कर्मचारियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। गिराह से मिली जानकारी के आधार पर उन सरकारी कर्मचारियों के विभागों को सूचना दी जा रही है। जल्द ही इन सभी सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए आवश्यक सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस गिराह के सदस्य कई विश्वविद्यालयों में फैले हुए हैं उनका भी गिराह के सदस्यों से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है। फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरी

■ मामले में एओजी अन्य राज्यों में गिराह के सदस्यों को लेकर जानकारी जुटा रही है।

लगने वाले लोगों की संख्या थ्री डिजिट में है। फिलहाल इनकी तस्दीक की जा रही है। इसके लिए पकड़े गए गैंग के सदस्यों से जानकारी और सबूत लिए जा रहे हैं। सुभाष पुनिया, परमजीत और प्रदीप के घर की तलाशी ली जा चुकी है। बाकी गैंग के सदस्यों के घर की भी जल्द तलाशी ली जाएगी। पूर्व में ली गई तलाशी में गैंग के सदस्यों के यहां से कई अहम सबूत मिले हैं। इनकी तस्दीक की जा रही है। गौरतलब है कि शनिवार को एसओजी ने पूर्व में गिरफ्तार प्रदीप कुमार शर्मा निवासी पुगलसर बास सरदारशहर चूरू के घर पर ली। तलाशी में मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तलाशी में उसके घर पर 20 ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की मार्केटींग, ओपीजेएस की माइग्रेशन सर्टिफिकेट 25 खाली और 32 भरे हुए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट 66

खाली और 8 भरे, ओपीजेएस विश्वविद्यालय के चरित्र प्रमाण पत्र, 40 खाली और 5 भरे, तीन विश्वविद्यालयों की 7 जाली मुहर, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं 44 खाली 30 भरी हुई, चार डायरी जिसमें डिग्री के संबंध में लाखों रुपये के लेन देन का हिसाब, दो लाख तीन हजार रुपये नगद, लैपटॉप जिसने अर्थव्ययों का डेटा और हिसाब किताब अंकित है का हार्ड डिस्क मिली थी। आरोपी प्रदीप की स्वयं की एमएससी, एमबीए, पीएचडी इन कम्प्यूटर साइंस की डिग्री के अलावा संपत्ति के दस्तावेज जब किए गए।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तक सुभाष पुनिया (52) निवासी बेरासर घुमाना, राजगढ़ (चूरू), उसके बेटे परमजीत हाल पीटीआई राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बसेडी (धौलपुर), प्रदीप शर्मा निवासी सरदार शहर चूरू, बीकानेर सीबीओ ऑफिस में यूडीसी मन्दीप सांगवान, उच्च माध्यमिक स्कूल देशनोक (बीकानेर) में यूडीसी जगदीश और फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले राकेश कुमार निवासी सरदारशहर (चूरू) को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में हुआ भाजपा प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम

जयपुर। शनिवार को जयपुर के बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में भाजपा के प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ द्वारा प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सड़क सुरक्षा एवं नागरिक उद्युक्त राज्यमंत्री जनरल वी. के. सिंह सहित प्रदेश संयोजक प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ राजेश सिंह शेखावत, सह संयोजक मनोज शर्मा, आशुतोष पंत, पूर्व आईपीएस बी. एल सोनी, राजगण विभाग के पूर्व निदेशक महेश शर्मा, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. संजय बियानी, चैयरमैन डॉ. राजीव बियानी सहित गणमान्य जन मौजूद रहे।

नागरिक उद्युक्त मंत्री एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश में आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान एवं गौरव बढ़ा है।

पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों ने दिया भाजपा को समर्थन

जयपुर। भाजपा मुख्यालय पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजन में आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा को समर्थन दिया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान सभी कलाकारों का भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक डॉ. राजेश शेखावत, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक मनीष पारीक, सह-संयोजक डॉ. चन्द्रदीप हाडा और सह-संयोजिका शालिनी शर्मा मौजूद थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक डॉ. राजेश शेखावत ने कहा कि हम सभी के लिए हर्ष एवं सौभाग्य का विषय है। हिंदुस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न राजनैतिक दलों की राय भी सामने आ रही है। कला एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। इन सभी लोगों ने अपनी कला के माध्यम से देश का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाया है। भाजपा पार्टी सौभाग्यशाली है जो इन सभी लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। पद्मभूषण

पंडित विश्वमोहन भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए अभूतपूर्व दिवस है। हम किसी दलगत राजनीति के लोग नहीं हैं, ना ही हमारा राजनीति में चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव बढ़ते देख रहे हैं, भारत का मरतक भारत से उंचा हुआ है। मोदी विकसित भारत संकल्प 2047 के विजन के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों की कला को सम्मान मिला है। हम सभी ने बहुत मान और सम्मान दिया है।

पद्म श्री विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सेपरा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी कलाकार भले ही अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हम सभी एक देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा और मान सम्मान दिया इसके लिए हम उनके आभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा है, विश्वों में आज भारत के सांस्कृतिक गौरव की चर्चा होती है।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम अनिल कुमार से बदलकर अनिल शर्मा रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे अनिल शर्मा के नाम से जाना जावे पता 123/299, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर राजस्थान

विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम Mushrrat Bano से बदलकर Musarrat Bano धर्मपत्नी वसीम खान निवासनी 6/B, घोड़ा निकास रोड, शिकारियों की मोरी, रामगंज, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे MUSARRAT BANO के नाम से जाना पहचाना जावे।

I/JC No. 207959W Ex sub Gajadharr Sharma S/O Shri Sheedhar Lal Sharma R/O D-149 Jagdamba Nagar Heerapura (dhawas Road) Jaipur have changed my wife name from GEETA DEVI is wrong entered in service record as to GEETA SHARMA vide affidavit dated 8 April 2024 before district notary Jaipur

I have changed my name from Vikas Sunar to Vikash Soni S/O Babu Lal Soni for all purposes R/O Green vista apartment Flat No. 103, D-242 Devi marg Near Shahpura Hotel Banipark Jaipur

हैदुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय A.D.J. No 1 स्थान हिरण्डीन सिटी राजकुमार सोनी विरूद्ध नीलम मर्मा वाद/प्रार्थना पत्र U/D 9 हिन्दू विवाह अधि. प्रार्थना-पत्र संख्या 132/2023 सन् नाम नीलम मर्मा एच. स्वर. रतन कुमार मर्मा पति राजकुमार सोनी उर्फ सोनू सोनी निवासी सी-89 केदार नगर थाना शाहगंज आगरा (यूपी.) उक्त आवेदन के इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेकबुक दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैदुक दर्शित करने के लिए 15.4.2024 को 10 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने पत्नीद्वारा द्वारा विवेक रूप से अन्दरू किया गया हो, उपसंभार हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज वा. 12.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
सौनियर रिडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं-1, हिण्डवण सिटी

प्रतापति भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना
नगरपालिका क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 व राजस्थान नगरपालिका भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदन द्वारा अपनी संपत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाने वाले हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाई www.jddra.jaipur.gov.in एवं जेता देवी मर्मा के पते पर देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दरवाजे सभ्यवित्त विभाग जेता देवी मर्मा के कार्यालय अथवा सचिव, जिला जेता देवी मर्मा को प्रस्तुत करे।
क्रमांक: वा/वि/आ/जी/न-5/2024/डी-602

क्र. सं.	जोत	आवेदक का नाम	भूखण्डकारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा संख्या	पट्टा शिखर में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (यू.पि.स.स./पि.पि.स.स./सावकारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान 2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/
----------	-----	--------------	-------------------	---------------	--------------	--------------------------------	--	------------------	--